अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 05/09

1. हाकमसिंह
2. भागाराम
3. तेलूराम पिसरान श्री चन्दसिंह अकवाम बावरी सकनाए 8 के एस डी तह0 रायसिंहनगर।

वनाम

1. गुरदयालसिंह
2. लालसिंह पिसरान अर्जनसिंह सकनाए बावरी निवासी 8 के एस डी तह0 रायसिंहनगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री जगमोहन आहूजा,राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
2. श्री भूराम मल स्वामी अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
3. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक : 05–02–16

प्रस्तुत प्रकरण मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय की अपील सं0 204/08 अनवानी गुरदयालसिंह वनाम सरकार में दिनांक 17–02–09 को पारित निर्णय कें परिप्रेक्ष्य में रिमाण्ड होकर, इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि यदि अपीलांट. का मामला राज0 उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–ए की परिधि में आता है तो नियमानुसार शमन फीस जमा कराई जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने जिला कलक्टर महो0 को दिनांक 29–1–96 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता का देहान्त 19–20 साल पहले हो चुका है। उनके पिता को 50–00 बीघा नहरी भूमि का पुख्ता आवंटन हुआ था, जिसमें से 35–00 बीघा भूमि पर उनका कब्जा है तथा 15–00 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है। फर्जी इकरारनामा के आधार पर पैनेल्टी जमा कराना चाहते हैं। अस प्रकार निवेदन किया है कि पैनेल्टी जमा न करवाई जावे।

कार्यविभाजन आदेश के कम में प्रकरण दिनांक 20–3–08 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जो कम सं0 21/08 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

दिनांक 31–3–08 को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाकर चक 6 एसजेएम आल 8 के एसडी का मु0 नं0 259/374 की कि0 नं0 1 ता 15 जिसका बेचान धारा 13–ए की अवहेलना में हुआ था, की शमन फीस जमा नहीं होने के कारण रकबा बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश प्रसारित किए गए थे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31–3–08 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 204/08 दायर कर दी, जो अपीलीय निर्णय दिनांक 17–2–09 की पालना में रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 17–2–09 के उपरांत दिनांक 12–6–09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण हाकमसिंह वगैरा ने विवादित भूमि की धारा 13 ए के अन्तर्गतशमन फीस जमा कराने का निवेदन किया, जिसपर अप्रार्थीगण की स्वंय की रिस्क पर दिनांक 12–6–09 को 88088/– रूपये शमन फीस के व 22500/– रूपये व्याज के जमा करवाये गये।

तहसीलदार, राजस्व, रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 28–7–09 के अनुसार आवंटी चन्दसिंह पुत्र वीरसिंह को चक 7 एस जे एम ए में मु0 नं0 259/374 व 259/375 की 50–00 बीघा नहरी भूमि दिनांक 26–8–61 को दन्दिरा गॉधी नहर परियोजना के अन्तर्गत आवंटन हुई थी, जिसकी तमाम किश्तें दिनांक 2–5–99 को जमा हुई। सनद आदिनांक तक जारी नहीं हुई है। दिनांक 10–1–74 को जरिये इकरारनामा गुरदयालसिंह, लालसिहं पिसरान अर्जनसिहं जाति वावरी को चक 8 के एस पी डी मु0 नं0 259/374 कि0 नं0 1 ता 15 कुल 15–00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा क्रेतागण का है तथा वर्तमान में भूमि निर्णय दिनांक 31–3–08 की पालना में रकबा राज दर्ज है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि इकरारनामा फर्जी तैयार किया गया है। मूल आवंटी चन्दसिंह का देहान्त हुए काफी अर्सा हो गया है। कूट रचित दस्तावेज इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि का कब्जा उनके पास है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि विक्रेता द्वारा बेचान की गई भूमि का बैयनामा नहीं करवाये जाने पर खरीददारान द्वारा सिविल न्यायाधीश(क0ख0) रायसिंहनगर के न्यायालय में सिविल वाद सं0 13/96 दायर किया गया था जिसके निर्णय दिनांक 16–12–08 द्वारा उनके पक्ष में डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इकरारनामा दिनांक 10–1–74 की विनिर्दिष्ट अनुपालना में विवादित आराजी चक 7 एस जे एम नया नाम 8 के एस डी ए के मु0 नं0 259/374 कि0 नं0 1 ता 15 कुल 15 बीघा नहरी भूमि का बैयनामा इकरारनामा में वर्णित शर्तो के अनुसार 3 माह के अंदर वादीगण या वादीगण जिसके पक्ष में वादीगण कहें, उनके पक्ष में करवाये। साथ में यह भी आदेश दिया गया है कि यदि प्रतिवादीगण विवादित आराजी का तीन माह के अन्दर वादीगण के पक्ष में बैयनामा नहीं करवाया जाता है तो वादीगण न्यायालय के मार्फत बैयनामा करवाने के अधिकारी होगें। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया है कि मा0 सिविल न्यायालय के निर्णय की पालना में बैयनामा करवाये जाने की आगामी कार्यवाही की हुई है। अतः बेचान सद्भावी है और माननीय सिविल न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में है।

विवादित भूमि की शमन फीस व ब्याज की समस्त राशि मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 17–2–09 की पालना में जमा करवा दी गई है। भूमि का कब्जा तहसील रिपोर्ट के अनुसार उनके पास है। बेचान आवंटन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

के सात वर्ष के बाद का है। भूमि का अंतरण एस सी से एस सी को हुआ है। उक्त अन्तरण आवंटन के सात साल के पश्चात गैरखातेदारी के दौरान किया गया है इसलिए धारा 13ए(1ए) के तहत अन्तरण दिनांक 10–1–74 को विधिमान्य घोषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण में धारा 13ए(1ए) के तहत एक मुश्त शमन शुल्क 15–00 बीघा नहरी भूमि की मय दिनांक 7–9–88 से नियमन शुल्क 18 प्रतिशत बयाज सहित जमा हो चुकी है। अन्तरण आवंटन के सात साल बाद गैरखातेदारी भूति का हुआ है औरा धारा 42 काश्तकारी अधिनियम की कोई अवहेलना नहीं हुई है इसलिए अन्तरण दिनांक 10–1–74 को केतागण के पक्ष में सशर्त जारी किया जावे कि खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात ही इसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखो में किया जा सकेगा।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि आवंटी चन्दसिंह पुत्र वीरसिंह को चक 7 एस जे एम ए में मु0 नं0 259/374 व 259/375 की 50–00 बीघा नहरी भूमि दिनांक 26–8–61 को दन्दिरा गॉधी नहर परियोजना के अन्तर्गत आवंटन हुई थी, जिसकी तमाम किश्तें दिनांक 2–5–95 को जमा हुई। सनद आदिनांक तक जारी नहीं हुई है। दिनांक 10–1–74 को जरिये इकरारनामा गुरदयालसिंह, लालसिहं पिसरान अर्जनसिहं जाति बावरी को चक 8 के एस पी डी मु0 नं0 259/374 कि0 नं0 1 ता 15 कुल 15–00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा केतागण का है तथा वर्तमान में भूमि निर्णय दिनांक 31–3–08 की पालना में रकवा राज दर्ज है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि विकेता द्वारा बेचान की गई भूमि का बैयनामा नहीं करवाये जाने पर खरीददारान द्वारा सिविल न्यायाधीश(क0ख0) रायसिंहनगर के न्यायालय में सिविल वाद सं0 13/96 दायर किया गया था जिसके निर्णय दिनांक 16–12–08 द्वारा उनके पक्ष में डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इकरारनामा दिनांक 10–1–74 की विनिर्दिष्ट अनुपालना में विवादित आराजी चक 7 एस जे एम नया नाम 8 के एस डी ए के मु0 नं0 259/374 कि0 नं0 1 ता 15 कुल 15 बीघा नहरी भूमि का बैयनामा इकरारनामा में वर्णित शर्तो के अनुसार 3 माह के अंदर वादीगण या वादीगण जिसके पक्ष में कहें, उनके पक्ष में करवाये। साथ में यह भी आदेश दिया गया है कि यदि प्रतिवादीगण विवादित आराजी का तीन माह के अन्दर वादीगण के पक्ष में बैयनामा नहीं करवाया जाता है तो वादीगण न्यायालय के मार्फत बैयनामा करवाने के अधिकारी होगें। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया है कि मा0 सिविल न्यायालय के निर्णय की पालना में बैयनामा करवाये जाने की आगामी कार्यवाही की हुई है।

उक्त अन्तरण को विधि मान्य घोषित करवाने के लिए नियमन शुल्क राशि एक मुश्त 88088–00 रूपये चालान न0 9 दिनांक 12–06–09 को एवं इस पर ब्याज 7–9–88 से 18 प्रतिशत की दर से 22500 रूपये जरिये चालान सं0 8 दिनांक 12–06–09 से जमा हो चुके है। डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 27–7–15 के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 17–2–09 की पालना में कोई राशि जमा होने से शेष नहीं है। उक्त भूमि का अन्तरण हरिजन से स्वर्ण को नहीं हुआ है और न ही फेगमेंट के रूप में अन्तरण हुआ है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त अन्तरण आवंटन के सात साल के पश्चात गैरखातेदारी के दौरान किया गया है। डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 27–7–15 के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 17–2–09 की पालना में कोई राशि जमा होने से शेष नहीं है इसलिए धारा 13ए(1ए) के तहत दिनांक 10–01–74 को अप्रार्थीगण (क्रेतागण) के पक्ष में हुए अन्तरण को विधिमान्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन बैयनामा पंजीकृत होने के बाद एवं खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात् किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05–02–2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/2/16

(कर्णसिंह गोदवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner